

सिविल जज (सी०डि०) / त्वरित न्यायालय गाजियाबाद
सम्मन वास्ते करावाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायद 1 व 5)

न्यायालय त्वरित न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) गाजियाबाद
वाद सं. – 1219 / 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड़ रोड, गाजियाबाद द्वारा
श्री दीनानाथ, अनुसचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी।

बनाम

राकेश कुमार भाटिया पुत्र स्व० श्री सत्यपाल भाटिया, निवासी-इलैक्ट्रीक
लोकोसेड सेक्शन एम०एस०आर०, गाजियाबाद, उ०प्र०।

.....प्रतिवादी

चूंकि ऊपर नामांकित वादी ने इस न्यायालय में विक्रय विलेख निरस्तीकरण
हेतु वाद योजित किया है अतएवं एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उस
आवेदन के खिलाफ हेतु संदर्भित करने के लिये बतारीख **20.08.2019** बवक्त
10 बजे दिन में स्वयं या सम्पक अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजाता हो
और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एकपक्षीय सुना जायेगा और
आवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित आज बतारीख 27.07.19 को जारी
किया गया है।

आदेशानुसार
मुसरिम / रीडर
न्यायालय त्वरित न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)
गाजियाबाद